न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

पील संख्याः—39 / 2016

.सी.एम.एस .संख्याः—2016 / 00037

उनवान

1. छीतर पुत्र गोपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम देवली तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

...अपीलान्ट्स।

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
2. रामसिंह पुत्र भूरा जाति गूजर निवासी ग्राम देवली तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

....रैस्पोडेन्ट्स।

उपस्थितः—

1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पैरोकार सरकार रैस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री गिर्राज सिंह गुर्जर अधिवक्ता रैस्पोडेन्ट सं0 2

—::निर्णय::—

दिनांक 30.11.2022

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 37 / 2011 बउनवान सरकार बनाम छीतर में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2016 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 01 / वादी ने मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के समक्ष एक वाद ... का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 355 रकबा 0.65 हैक्टेयर ग्राम ... बिक जमाबंदी छीतर पुत्र गोपाल जाति कुम्हार निवासी देवली, ... निवासी देवली के नाम कृषि भूमि दर्ज है। उक्त आराजी में मौके पर ... खातेदार रामसिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

गूर्जर द्वारा रकबा 0.13 हैक्टेयर मे अवैध रूप से सरसो की तूडी का स्टाक का कार्य किया जा रहा है। जो धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैधानिक है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर ने दिनांक 12.02.16 को प्रतिवादी विरूद्ध निर्णय पारित करते हुए, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.65 मे से 0.13 हैक्टेयर भूमि ग्रामदेवली तहसील मलारना डूंगर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 177 के तहत सिवायचक घोषित कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ग्राम देवली तहसील मलारना डूंगर का मूल निवासी काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि को कभी भी काश्त के अलावा अन्य उपयोग नही लिया है। केवल अपनी खातेदारी की भूमि में कुछ हिस्से में सरसो की तूड़ी को रख कर इक्कंठ्ठा कर रखा है, ताकि समय आने पर अच्छे पैसे मिल सके जिसमें ऐसा कोई कार्य नही है कि जिसे कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने का अपराध बनता हों। परन्तु प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि को तहसीलदार मलारना डूंगर की शिकायत पर उपखण्ड़ अधिकारी मलारना डूंगर ने सिवायचक घोषित कर दिया है। तहसीलदार द्वारा गलत रिपोर्ट किये जाने के आधार पर मातहत अदालत ने बिना वास्तविक स्थिति का आकलन किये प्रार्थी की भूमि को सिवायचक करने का आदेश पारित किया गया है, जो अवैधानिक होने अपास्त योग्य है। अतः मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी मलारना डूंगर का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2016 निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई उचित ... अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया ... अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा 0.65 पर कब्जा काश्तकार है। वर्ष 2011 में प्रार्थी ने उक्त आराजीयात में सरसों की फसल काश्त की तथा फसल को थ्रेसर से साफ करवाने के बाद सरसों की तूड़ी (जो कि एक कृषि उत्पाद ही है) को उक्त आराजी के ही कुछ हिस्से में इक्कट्ठा कर रख दी। जो किसी भी प्रकार से अकृषि कार्य नही है। परन्तु तहसीलदार मलारना डूंगर ने वर्ष 2011 में उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के समक्ष इसकी शिकायत कर दी । प्रार्थी को मातहत अदालत की ओर से नोटिस से प्रकरण की सूचना मिलते ही वकील कर अपना जवाब प्रस्तुत किया। मातहत अदालत की ओर से लगभग 5 वर्ष पश्चात् अचानक बिना प्रार्थी को नोटिस दिये, बिना मौका देखे मात्र कयास के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात को सिवायचक घोषित कर आलोच्य निर्णय पारित कर दिया, जो कि अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2016 को अपास्त फरमाया जावें।

9. जवाब बहस में रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से 0.13 हैक्टेयर पर खातेदार छीतर पुत्र गोपाल निवासी ग्राम देवली तहसील मलारना डूंगर की सहमति से अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से सरसों की तूड़ी का स्टॉक किया हुआ है। जो कि अवैधानिक कार्य की श्रेणी में आता है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर द्वारा दिनांक 12.02.2016 को किया गया निर्णय सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

10. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

11. रिकार्ड के अवलोकन जाहिर आया कि जमाबन्दी सं[illegible]070 वाके ग्राम मलारना डूंगर के आराजी खसरा नम्बर 35[illegible] मोल्या बेवा गोपाल कुम्हार के नाम द[illegible] गिरदावर तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:45 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार के पत्रों पत्रों का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट व पत्रों के अवलोकन से यह जाहिर है कि रिपोर्ट में दिनांक अंकित नही है। संबंधित रिपोर्ट कब तैयार की गई, प्रमाणित नही है। संबंधित रिपोर्ट पर केवल "प्रदर्श-1" व "प्रदर्श-3" का अंकन है जो विधिवत रूप से "प्रदर्श" नही अंकित किए गए है, जो भी साक्ष्य पठनीय नही है। इसके अतिरिक्त पी.डब्लयू.-1 बयान में स्पष्ट कथन किया है कि वर्तमान में तुड़ी का ढेर नही है, सरसों की फसल काश्त है।

12. इससे यह स्पष्ट है कि संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं अपने व्यक्तिगत स्तर से न कि "भूमिधारक" की हैसियत से रिपोर्ट तैयार की गई क्योंकि प्रस्तुत रिपोर्ट कार्यालय के पत्र प्रेषण रजिस्टर के कमांक अंकित नही है, साथ ही पी.डब्लयू.-1 द्वारा स्पष्ट रूप से तुड़ी के ढेर का सत्यापन नही किया गया है।

13. इस प्रकार अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर द्वारा साक्ष्यों का बिना विधिक विवेचन किए ही निर्णय पारित किया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के मुकदमा नंबर 37/2011 बउनवान सरकार बनाम छीतर के निर्णय दिनांक 12.02.2016 को अपास्त फरमाया जाता है। खसरा नंबर 355 रकबा 0.65 हैक्टेयर मे से सिवायचक दर्ज रिकार्ड कर दिया गया है तो, किया गया भाग (0.13 हैक्टेयर) पुनः अपीलांट की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो, नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
30.11.22
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 11:44:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner